

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... टोंक

..... रामस्वरूप बनाम..... रामस्वरूप वगै०

कदमा... दावा नं..... 97 सन्..... /2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.17	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल की जाकर दिनांक 17.07.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)</p>	<p style="text-align: right;">⊕ <u>1682-88</u> <u>16817</u></p>
17 ⁰⁷ / ₁₇	<p>वकील वादी उपर। वकील वादी के भवगत करार की पत्रकारों के मध्य कदमी रात्रीगण से गपा है। भक्त वाद कलौठ ही पकल पाछे ही वाद रत्रीगण पर खारीग विच्य गता है।</p> <p style="text-align: center;">पकवकी के लक शुभा ही कलकष</p> <p>वि कय की गलक हाथिन १ मल है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)</p>	<p>पक्षकारान के पक्षकारान के हो जाने से कलौठ लाना नही पाईने</p> <p style="text-align: right;"><u>सुभा</u></p>